

ब्रू जनजात समस्या

प्रीलिमिंस के लिये

ब्रू जनजात, उनका नविस।

मेन्स के लिये

ब्रू जनजात के संदर्भ में नृजातीय संघर्ष से उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा की समस्या

चर्चा में क्यों?

हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने ब्रू जनजात को दी जाने वाली खाद्य आपूर्त को, जसि केंद्र सरकार ने रोक दिया था, पुनः प्रारंभ कर दिया है।

प्रमुख बडि

- ब्रू समुदाय के साथ लगातार हुई पुनर्स्थापन की कोशिशों के वफिल होने के बाद केंद्र सरकार ने शरणार्थी शविरि में होने वाली खाद्य आपूर्त को 1 अक्टूबर 2019 से समाप्त कर दिया।
- साथ ही केंद्र सरकार ने ब्रू समुदाय के समक्ष एक अंतिम प्रस्ताव रखा कि जो परिवार 30 नवंबर 2019 से पहले वापस मजोरम (मूल स्थान) लौटने को तैयार हो जाएगा उसे 25,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी। इसके बावजूद भी इस समुदाय के लोग वापस जाने को तैयार नहीं हुए।
- खाद्य आपूर्त रोकने के बाद छः लोगों की मौत हो गई जसिमें चार नवजात बच्चे भी शामिल थे। इन मौतों की वजह भुखमरी को बताया गया। हालाँकि स्थानीय प्रशासन ने इसका खंडन किया है।
- इस घटना के बाद इस समुदाय के लोगों ने वरिध प्रदर्शन किया। जसिके चलते त्रिपुरा सरकार ने अपनी ओर से खाद्य आपूर्त पुनः प्रारंभ कर दी लेकिन यह केंद्र सरकार द्वारा नरिधारित अंतिम तिथि 30 नवंबर 2019 तक ही जारी रहेगी।

कौन है ब्रू?

- ब्रू या रेयांग (Bru or Reang) समुदाय पूर्वोत्तर भारत के मूल नविसी हैं जो मुख्यतः त्रिपुरा, मजोरम तथा असम में रहते हैं। कविदंतियों के अनुसार, माना जाता है कि त्रिपुरा का एक राजकुमार, जसि राज्य से निकाल दिया गया था वह, अपने समर्थकों के साथ मजोरम में जाकर बस गया। वहाँ उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ब्रू समुदाय के पूर्वज उस राजकुमार के समर्थक थे। वर्तमान में संख्या में कम होने के कारण त्रिपुरा में इनकी पहचान एक सुभेदय आडविसी समूह की है।
- वर्ष 1995 में मजोरम की 'मजो' तथा 'ब्रू' जनजातियों के बीच हुए आपसी झड़प के बाद 'यंग मजो एसोसिएशन' (Young Mizo Association) तथा 'मजो स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (Mizo Students' Association) ने यह मांग रखी कि ब्रू लोगों के नाम राज्य की मतदाता सूची से हटाए जाए क्योंकि वे मूल रूप से मजोरम के नविसी नहीं हैं।
- इसके बाद ब्रू समुदाय द्वारा समर्थित उग्रवादी समूह ब्रू नेशनल लबिरेसन फ्रंट (Bru National Liberation Front-BNLF) तथा एक राजनीतिक संगठन (Bru National Union-BNU) के नेतृत्व में वर्ष 1997 में मजो जनजातियों के समूह से हसिक नृजातीय संघर्ष हुआ। जसिके बाद लगभग 37,000 ब्रू लोगों को मजोरम छोड़ना पड़ा।
- उसके बाद उन्हें त्रिपुरा के शरणार्थी शविरि में रखा गया। तब से अभी तक लगभग 5,000 ब्रू लोग वापस मजोरम लौट सके हैं जबकि शेष 32,000 अभी भी त्रिपुरा के शरणार्थी शविरि में रह रहे हैं।

उनके जीवन नरिवाह के साधन

- केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत सामग्री के तहत एक वयस्क ब्रू व्यक्ति को रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल सभी वस्तुओं के अलावा प्रतिदिन

5 रुपए व 600 ग्राम चावल तथा कसीं अल्पवयस्क को 2.5 रुपए व 300 ग्राम चावल दया जाता है ।

- अधिकतर शरणार्थी राहत सामग्री के तौर पर प्राप्त होने वाले अनाजों तथा अन्य वस्तुओं को बेच देते हैं तथा उसके बदले में प्राप्त धन को दवा आदि खरीदने के लिये प्रयोग में लाते हैं ।
- एक स्थाई नवास न होने की वजह से उनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी तथा राशन कार्ड आदि नहीं हैं । इसकी वजह से उन्हें घर, बजिली, स्वच्छ पानी, अस्पताल तथा बच्चों के लिये स्कूल जैसी कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है ।

उनके शरणार्थी बने रहने की वजह

- वर्ष 2018 में बरू समुदाय के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा दो राज्य सरकारों (त्रिपुरा व मजोरम) के साथ दलिली में एक समझौता किया । इसके अनुसार, केंद्र सरकार ने बरू जनजातियों के पुनर्वास के लिये आर्थिक मदद तथा घर निर्माण के लिये ज़मीन देना स्वीकार किया । साथ ही इस समुदाय को झूम खेती करने की अनुमति, बैंक अकाउंट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र आदि देना तय किया गया ।
- इसके बावजूद सरिफ 5,000 लोग ही वापस मजोरम जाने के लिये तैयार हुए तथा शेष 35,000 लोगों ने यह कहते हुए लौटने से मना कर दिया कि समझौते के प्रावधान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं साथ ही उन लोगों ने यह माँग भी रखी कि उन्हें एक साथ समूहों (Clusters) में बसाया जाए ।

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/bru-tribe-s-issue>

